



प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज की विभिन्न योजनाओं में निविदा सह नीलामी के माध्यम से व्यावसायिक भूखण्ड/आवासीय भूखण्ड/प्लॉट प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर
आवेदन/पंजीकरण तिथि 08.01.2019 से 22.01.2019 तक

व्यवसायिक सह आवासीय भूखण्डों का नीलामी की तिथि 25.01.2019 को दोपहर 12.30 बजे
नीलामी स्थल : 8वां तल, इन्दिरा भवन स्थित कमेटी कक्ष, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
व्यावसायिक /व्यावसायिक सह आवासीय सम्पत्तियों का विवरण- (आवंटन नीलामी द्वारा)

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूखण्ड सं.	कुल भूखण्डों की सं.	न्यूनतम आरक्षित दत्त प्रति वर्ग मीटर (रु.)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रु.)	पंजीकरण धनराशि (रु.)
1	त्रिवेणीपुरम् आवास योजना, झूंसी	364.50	GA-4B, YIIA-07, YIIA-08, YIIA-09	04	45000.00	16402500.00	1640250.00
2	नैनी आवास योजना	100.43 से 166.71 तक	CD1 To CD9	09	56,000.00	56,24,080.00 से 93,35,760.00 तक	5,62,410.00 से 9,33,100.00 तक

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण - (आवंटन लाटरी द्वारा)

क्र. सं.	योजना का नाम	सम्पत्ति श्रेणी	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमी.)	रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	रिक्त सम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य	पंजीकरण धनराशि (रु.)
1	मंगल विहार कालिन्दीपुरम्	सरल श्रेणी प्लॉट	38.274	04	9,89,000.00	98,900.00
		सहज श्रेणी प्लॉट	43.46	04	11,99,950.00	1,20,000.00
2	नैनी आवास योजना	HIG भूखण्ड	209.47	01	50,27,280.00	5,02,750.00
3	गोविन्दपुर आवास योजना	EWS प्लॉट	21.94	02	10,34,800.00 से 11,48,800.00 तक	1,14,100.00
4	बदरी आवास योजना	EWS प्लॉट	38.25	05	6,37,650.00 से 7,81,100.00 तक	79,150.00
5	सरस विहार झूंसी	अफोर्डेबल प्लॉट	28.00	07	9,98,000.00 से 14,01,000.00	1,40,100.00
6	डिवाइन अपार्टमेंट त्रिवेणीपुरम्	3BHK डिलाइट प्लॉट	170.66	02	86,28,896.00	8,62,900.00

नियम एवं शर्तें : 1. उक्त सम्पत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण वेबसाइट janhit.upda.in के माध्यम से निर्धारित अवधि में ही स्वीकार किये जायेंगे और पंजीकरण आवेदन की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा। 2. व्यावसायिक भूखण्डों के आवंटन हेतु पंजीकृत उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली (दर) के अनुसार कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि सक्षम स्तर से स्वीकृत होने के तत्काल बाद अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा, जिसमें जमा पंजीकरण धनराशि समायोजित हो जायेगी। 3. अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पर निर्भर होने के तत्काल बाद अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। तैमासी किस्तों में विलम्ब होने की दशा में विलम्ब ब्याज उक्त के अतिरिक्त देय होगा। उक्त नियत समायाधि में सम्पूर्ण धनराशि जमा न करने पर पूर्व से जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त करते हुये आवंटन होने की दशा में विलम्ब ब्याज उक्त के अतिरिक्त देय होगा। 4. मौके पर भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि होने पर तदनुसार ही अन्तर धनराशि संशोधित की जायेगी। 5. आवंटनी को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपस्थित, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज में निहित है। 9. आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा और लाटरी तिथि की सूचना अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा। 10. आवासीय सम्पत्तियों का पंजीकरण से नियमानुसार भवन निर्माण स्विकृत करार कर ही करना होगा। 7. भूखण्डों की के पश्चात् ही सम्पत्ति का कब्जा देया होगा। आवंटित भूखण्ड का विकास एवं निर्माण प्रक्रिया के अलावा शेष धनराशि निर्धारित ब्याज सहित किस्तों में अथवा एकमुष्ट जमा किया जा सकता है। किस्तों में देय ब्याज की धनराशि, किस्तों की संख्या आदि योजनावार अलग-अलग है, पंजीकरण अवधि में किस्तों की कार्य दिवस में सम्बन्धित राजस्व लिपिक से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 11. E.W.S. भवन/सरल श्रेणी प्लॉट हेतु रु. 3,00,000 लाख तक एवं L.L.G. भवन/सहज श्रेणी प्लॉट हेतु रु. 3,00,000 लिपिक से 6,00,000 लाख तक की वार्षिक आय का समम अधिकारी का प्रमाण पत्र फार्म के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा पंजीकरण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। 12. एक से अधिक श्रेणी के भवन हेतु आवेदन करने के लिये अलग-अलग पंजीकरण फार्म एवं पंजीकरण धनराशि जमा करना होगा, परन्तु लाटरी में अधिक चयन होने पर एक पंजीकरण ही भवन का आवंटन मान्य होगा तथा आवेदक को हों के समय ही तत्काल अपने पंजीकरण से असहमत प्रस्तुत करना होगा अन्यथा एक से अधिक चयन होने पर नियमानुसार एक के क्रम में ही आवंटन स्वीकार होगा व सभी पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। 13. समस्त सम्पत्ति 'जहाँ है, जैसे है' के आधार पर आवंटित की जा रही है। जिसमें विकास प्राधिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं कराया जायेगा। आवंटन हेतु आवेदन करने से पूर्व सम्पत्तियों का स्थल निरीक्षण कर संतुष्टि कर लें। 14. विवाद की स्थिति में मामले का निस्तारण प्रयागराज जनपद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा। 15. प्राधिकरण/शासन द्वारा समय-समय पर लागू समस्त नियमों का पालन करना होगा। 16. शेष नियम व शर्तें आवेदन प्राधिकरण की वेबसाइट janhit.upda.in पर भी उपलब्ध है।

(मंगल राम गुप्ता) (भानु चन्द्र गोस्वामी)
सचिव उपाध्यक्ष